न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 93 / 2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बस्ताराम पुत्र तिलाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवगढ, तहसील बांलेसर, जिला जोधपुर 2– गोदूराम पुत्र तिलाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवगढ तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		1– सुखाराम पुत्र तिलाराम 2– किशनाराम पुत्र गोकलराम 3– श्रीमती जस्सी पत्नी टिकमाराम 4– छोटुराम पुत्र पूनमाराम 5– श्रवणराम पुत्र पूनमाराम 6– श्रीमती गेरो देवी पत्नी पूनमाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम देवगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर 7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 8– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188 उम्मेद हेरिटेज जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2020 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52 / 2020 अनवान सरकार बनाम बस्ताराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री ओ0पी0बूब अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3–श्री कंवराराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 6 की ओर से ।
4–श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8 की ओर से ।
5–श्री नवल सिह दहिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 तहसीलदार बालेसर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम देवगढ तहसील बालेसर की भूमि खेत खसरा नंबर 850, 850 / 1 विभाजन, बेचान, आवंटन, नियमन, दान, समर्पण, सपंरिवर्तन, अवाप्ति आदि परिवर्तनो का राजस्व नक्शे मे वन टू वन मेपिंग एवं तरमीम कार्य प्रगति पर होने के कारण राजस्व रेकर्ड नक्शे एवं मौके अनुसार मिलान नही होने की दशा मे खसरों का एकीकरण किया जायें, जिसके तहत खसरा नंबर 850 रकबा 60 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नंबर 850 / 1 रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा को मूल खसरा नंबर 850 रकबा 90 बीघा 05 बिस्वा मे एकीकरण किया जायें । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वर्तमान अपीलांट बस्ताराम के अलावा अन्य प्रत्यर्थीगण ने एकीकरण पर सहमति जाहिर की परंतु वर्तमान अपीलांट ने एकीकरण पर असहमति

बाबत जवाब पेश किया एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसके तहत गोदूराम एवं मंगनाराम पिता तिला द्वारा हकतर्क से अपना सम्पूर्ण हिस्सा सुखाराम पिता तिलाराम के पक्ष मे निष्पादित कर दिया जो पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसके आधार पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–7–2020 के जरिये स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित है । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित कथनो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के द्वारा राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार की हुई लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त किया जा सकता है जबकि वर्तमान प्रकरण मे पक्षकारो के बीच विवाद होने के कारण राजस्व रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नही जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुए बंटवाडा तथा हकतर्कनामा का स्वीकृत हुए नामांतरकरण तथा मौके पर पूर्व से की हुई तरमीम को बदलते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे भारी भूल की है जबकि गोदूराम प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जिसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खसरा एकीकरण का प्रावधान नही होने के बावजुद जो एकीकरण का आदेश पारित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब एवं उसमे वर्णित तथ्यो की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–7–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधि एवं न्यायसंगत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विधिवत दर्ज कर अपीलाधीन भूमि के समस्त खातेदारान को नोटिस जाकर कर उन्हें सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण करते हुए तथा रेकर्ड आदि का अवलोकन के बाद अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत पक्षकारान की सहमति से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 8 परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया कि अपील मे वर्णित ग्राम देवगढ के खसरा नंबर 850, 850/1 की 11.88 हेक्टेयर वादग्रस्त भूमि भारत माला परियोजना के अन्तर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के लिए सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा विधिवत अवाप्त कर दिनांक 20–2–2019 को कुल 1,73,58,459/– का मुआवजा खातेदारान को दिये जाने का अवार्ड जारी करने पर परियोजना की ओर से उक्त मुआवजा राशि संबंधित खातेदारान को भुगतान करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी तथा उक्त मुआवजा राशि का अधिकांश खातेदारान को भुगतान भी हो चुका है ।

अंत मे रेस्पो0गण के अधिवक्ताओं ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय हाजा की पत्रावली मे प्रस्तुत एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत अपीलाधीन भूमि के समस्त खातेदारान को नोटिस जाकर कर उन्हें सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर जवाब प्राप्त करने के बाद तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण करते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/खातेदारो की ओर से प्रस्तुत सहमति पत्र आदि का अवलोकन के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अलावा वर्तमान अपील प्रस्तुत होने के पश्चात इस अपील मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यनवयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

जोधपुर की ओर से प्रस्तुत होने पर उन्हे सुनकर इस अपील मे रेस्पो0 संख्या 8 बनाया गया । जिनकी ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्यो अनुसार अपील मे वर्णित ग्राम देवगढ के खसरा नंबर 850, 850/1 की 11.88 हेक्टेयर वादग्रस्त भूमि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के लिए सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा विधिवत अवाप्त की जाकर उसके मुआवजा राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी बालेसर को किया जा चुका है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी की ओर से भी अधिकांश खातेदारान को भुगतान किया जा चुका है तथा शेष खातेदारान भी अवार्ड मे उल्लेख अनुसार अपने हिस्से की राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी बालेसर से प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–7–2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर